

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2016/माघ 12, 1937

No. 40]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2016/MAGHA 12, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2016

सं. 58/2015-2020

विषय: परिषिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (2015-2020) के एएनएफ 2क में संशोधन।

फा0 सं0 01/93/180/20/एएम-13/पीसी-2 (ख).—विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा एएनएफ 2क [आयातक-निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) में संशोधन करने/को जारी करने के लिए आवेदन प्रपत्र] में संशोधन करते हैं और आगे अधिसूचित करते हैं कि:

- (i) इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने की तिथि से, आईईसी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु केवल 2 दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करने की आवश्यकता होगी। वे दस्तावेज हैं—(i) पैन कार्ड (ii) पूर्व मुद्रित किया हुआ धारक की कंपनी के नाम का रद्द किया गया चेक अथवा हस्ताक्षरकर्ता आवेदक के डिजिटल फोटोग्राफ के साथ बैंक प्रमाणपत्र।
- (ii) मौजूदा प्रारूप के अनुसार आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की मैन्युअल प्रणाली को दिनांक 01.04.2016 से समाप्त कर दिया जाएगा।
- (iii) नए आईईसी के लिए आवेदन दिनांक 01.04.2016 से केवल ऑनलाइन प्रणाली में स्वीकार किए जाएंगे।
- (iv) अतः दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी-II अथवा श्रेणी-III) द्वारा आवेदक आईईसी के लिए/आईईसी में संशोधन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए <http://dgft.gov.in/exim/2000digsig.htm> वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
- (v) यथा संलग्न, आईईसी आवेदन (एएनएफ 2क) और बैंक प्रमाणपत्र [एएनएफ-2क (i)] के लिए संशोधित ऑनलाइन प्रारूप को अधिसूचित किया जाता है।

- (vi) सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद, आईसीसी की स्वीकृति और अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और इसके साथ संलग्न जांच सूची के आधार पर आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करने के बाद दो कार्य दिवसों के अंदर डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) द्वारा सूचित किया जाएगा।
- (vii) डीजीएफटी प्रणाली के साथ इसके समन्वय के बाद, डीआईपीपी के ई-बिज पोर्टल द्वारा भी आईसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी।
- (viii) विनिर्माता निर्यातक के दर्जे का दावा करते हुए जो व्यक्ति किसी प्राधिकारी से कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे उस प्राधिकारी के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आवेदक, तत्काल प्रभाव से, अपने डिजिटल फोटोग्राफ के साथ, केवल दो दस्तावेजों की अपलोडिंग करके आईसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 01.04.2016 से आईसीसी के लिए आवेदन की मैनुअल प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आईसीसी के लिए/आईसीसी में संशोधन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किए जाएंगे।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

आयातक-निर्यातक कोड (आईसीसी) संख्या को जारी/में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म संबंधी दिशा-निर्देश

- आवेदकों को आवेदन करने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
- टिप्पणी: आईसीसी आवेदन फार्म को केवल इन्टरनेट एक्सप्लोरर 11 अथवा इससे अग्रवर्ती, क्रोम 6.3.2 अथवा जावा स्क्रिप्ट समर्थित अग्रवर्ती में देखा जा सकता है।
- दिनांक 01.04.2016 से आईसीसी के आवेदन/आईसीसी में संशोधन केवल आनलाइन तरीके से उपलब्ध होगा।
- दिनांक 01.04.2016 से आईसीसी के आवेदन/आईसीसी में संशोधन केवल आनलाइन तरीके से उन आवेदकों द्वारा किया जा सकता है जिनके डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी-II अथवा श्रेणी-III) हैं।
- आवेदकों को (एन) कोड सोल्यूशन सीए, ई-मुद्रा और सेफ स्क्रिप्ट [सिफी कॉम/सिफी कम्प्यूनिकेशन लिमिटेड (पूर्व में सेफ स्क्रिप्ट लिमिटेड)] से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए <http://dgft.gov.in/exim/2000/digsig.htm> का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है।
- ऑनलाइन आवेदनों के लिए केवल 2 दस्तावेज अर्थात् (i) पैन तथा (ii) कंपनी के पूर्व मुद्रित नाम वाला निरस्त चेक अथवा बैंक प्रमाण-पत्र, अपलोड किए जाने हैं।
- आईसीसी प्राप्त करने के इच्छुक हस्ताक्षरकर्ता आवेदक को अपनी डिजिटल फोटो (3x3 से0मी0) अपलोड करना अपेक्षित है।
- नए आईसीसी/आईसीसी में संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म (एएनएफ-2क) संलग्न है।
- बैंक प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न (एएनएफ-2क (i) के अनुसार होगा।
- यह सुनिश्चित करें कि अपलोड करने से पहले दस्तावेज स्पष्ट रूप से लिखे हों।
- दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप-जीआईएफ, जेपीईजी में अपलोड किया जाना चाहिए जिसका साइज 5 एमबी से अधिक न हो।
- यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में भरा गया विवरण अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों अर्थात् (i) पैन तथा (ii) निरस्त चेक अथवा बैंक प्रमाण-पत्र के विवरण के समरूप हो।
- आवेदन फार्म में दी गई सूचना अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ प्रति-परीक्षण करके सत्यापित की जाएगी तथा जिसका ब्यौरा संलग्न जांच सूची (अनुलग्नक-1) के अनुसार <http://incometaxindiaefiling.gov.in> तथा <http://www.mca.gov.in> पर उपलब्ध है।
- आवेदक को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा अपलोड किया गया विवरण उपर्युक्त वेबसाइटों में उपलब्ध विवरण तथा आवेदन फार्म में भरे गए विवरण के समरूप हो। परस्पर विवरण में कुछ बेमेल पाए जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन के अंत में दिए गए सामान्य अनुदेशों को भी पढ़ना चाहिए ताकि फार्म का सही भरा जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- आवेदक संलग्न की गई जांच सूची के अनुसार अपने आवेदनों का प्रति-परीक्षण भी कर सकते हैं ताकि सूचना के सही प्रस्तुत करने को सुनिश्चित किया जा सके।

- ऑनलाइन आईईसी के एक बार निरस्त होने पर आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी। आईईसी प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को 500/- रुपये की प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके नए सिरे से आवेदन करना होगा।
- आईईसी में संशोधन करने हेतु अनुदेश एएनएफ-2क के भाग छ में उपलब्ध हैं।

एएनएफ-2क

ऑनलाइन आईईसी हेतु लाग इन करना

		आवेदक का डिजिटल फोटो (3x3 से0 मी0)	
प्रचालन का तरीका (इन विकल्पों में से एक चुनें)	1. नया आवेदन बनाएं अथवा पहले से बने आवेदन को खोलें 2. यदि ई-आईईसी निरस्त कर दिया गया हो तो नया ई-आईईसी बनाएं। 3. पुराने आईईसी को ई-आईईसी में परिवर्तित/संशोधित करें, अथवा 4. ई-आईईसी को संशोधित करें।		
पैन संख्या, मोबाइल सं0 तथा ई-मेल आईडी के लिए दिए गए स्थान पर निम्नलिखित विवरण दें तथा टोकन प्राप्त करें।			
पैन			
**मोबाइल संख्या			
**ई-मेल आईडी			
		टोकन प्राप्त करें	
एक जैसे क्रम संख्या वाले दो भिन्न 5 संख्या वाली टोकन संख्या को आपके मोबाइल और ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। आईईसी मास्टर स्क्रीन पर लॉग इन करने के लिए निम्नलिखित कॉलमों में इन दो टोकन संख्याओं को भरें।			
मोबाइल टोकन			
ईमेल टोकन			
		प्रेषित करें	

** पैन, मोबाइल संख्या और ई-मेल आईडी को याद रखें।

आवेदक द्वारा पहले से बने आवेदन को प्रत्येक बार खोलने अथवा ई-आईईसी के निरस्त होने पर नया ई-आईईसी बनाने के इच्छुक आवेदक अथवा ई-आईईसी को संशोधित करने हेतु इनकी आवश्यकता होगी।

टिप्पणी : आप प्रत्येक चरण में आवेदन के सही भरे जाने का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। एक आवेदन को इसको प्रक्रियाबद्ध करने हेतु प्रस्तुत करने तक कितनी भी बार संशोधित कर सकते हैं।

भाग-क

आवेदक का ब्यौरा												
i. जिसके नाम से आईईसी जारी किया जाना है उस कंपनी का नाम :-												
ii. पता, (कम्पनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय का पता/अन्य के लिए मुख्य कार्यालय का पता आवश्यक है)				प्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं०								
				गली/क्षेत्र/इलाका								
				राज्य					जिला			
				शहर	पिन सं०							
iii. दूरभाष सं०, यदि कोई है (एरिया कोड सहित) *												
iv. मोबाइल सं०.		मुख्य मोबाइल सं०.										
		अन्य मोबाइल सं०. यदि कोई है।										
v. ई-मेल आईडी/वेबसाइट का पता:				मुख्य ई-मेल आईडी (डीजीएफटी के साथ पत्र व्यवहार हेतु) -				अन्य ई-मेल आईडी, यदि कोई है:				
				वेबसाइट (यदि कोई है):				फैक्स सं० (यदि कोई है, एरिया कोड सहित)				
vi. फर्म/कम्पनी का स्वरूप (कृपया संबंधित वर्ग को चिन्हित करें)				01—स्वामित्व 02— साझेदारी 03— सीमित देयता साझेदारी 04— निजी लिमिटेड 05— सार्वजनिक उपक्रम 06— सरकारी उपक्रम 07— धारा 25 कम्पनी 08— पंजीकृत सोसाइटी 09— न्यास 10— एचयूएफ								
vii. (क) मुख्य कार्य (कृपया संबंधित वर्ग को चिन्हित करें)				01— व्यापारी निर्यातक								
				02— विनिर्माता निर्यातक 03— व्यापारी सह-विनिर्माता-निर्यातक								
				04— सेवा प्रदायक								
				05— व्यापारी सह सेवा प्रदाता 06— विनिर्माता सह सेवा प्रदाता 07— व्यापारी सह विनिर्माता सह सेवा प्रदाता 08— अन्य (कृपया दर्शाएं)								

viii. आवेदक कंपनी के बैंक खाते का ब्यौरा

1. खाताधारी का नाम:
2. खाता संख्या:
3. बैंक का नाम:
4. बैंक शाखा का पता:
5. आई एफ एस कोड:

भाग ख: शाखा का विवरण:

i शाखा आईडी:

ii भारत और विदेश में स्थित शाखाओं / प्रभागों / यूनिटों / फैंक्ट्रियों का पता	फ्लैट / प्लॉट / ब्लॉक सं० पता पंक्ति पता पंक्ति	
	गली / क्षेत्र / इलाका	
	शहर	राज्य
	जिला	
	शहर	पिन कोड
(इसी प्रकार, प्रत्येक शाखा का ब्यौरा भरें)		

भाग ग: कृपया निम्नलिखित विवरण भरें

भाग ग 1. यदि कंपनी, स्वामित्व कंपनी है:

1. कंपनी के पैर का ब्यौरा	स्वामी का नाम जैसा कि पैर में है।																			
	पिता का नाम																			
	जन्म की तारीख (दिन / माह / वर्ष)																			

ख) घर का पता	फ्लैट / प्लॉट / ब्लॉक सं०	
	गली / क्षेत्र / इलाका	
	शहर	जिला
	राज्य	पिन कोड:

(ग) आधार कार्ड संख्या, यदि उपलब्ध है:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

भाग ग 2 : यदि कंपनी, साझेदारी फर्म है:

1. कंपनी के पैर का ब्यौरा	पैर में अंकित नाम																			
	निगमीकरण की तारीख (दिन / माह / वर्ष)																			
	पैर																			
2. प्रत्येक साझेदार का निम्नलिखित ब्यौरा भरें :																				

क. पैन में अंकित नाम																			
ख. पिता का नाम																			
ग. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)																			
घ. साझेदार के घर का पता	फ्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं०																		
	गली/क्षेत्र/इलाका																		
	राज्य										जिला								
	शहर					पिन कोड:													

[illegible]

भाग ग 3 : यदि कंपनी, सीमित देयता साझेदारी/निजी/सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम/खण्ड 25 कम्पनी है तो:																			
1. फर्म के पैन का विवरण	पैन में अंकित नाम																		
निगमीकरण करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)																			
	पैन																		
2. एलएलपीआईएन/सीआईएन (जो भी लागू हो)																			
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र सं०																			
4. प्रत्येक साझेदार/निदेशक का ब्यौरा निम्नलिखित में भरें :																			
क. नाम/पैन में अंकित नाम																			
ख. पिता का नाम*																			
ग. जन्म की तारीख (दिन/माह/वर्ष)																			
घ. निदेशक पहचान संख्या																			
ड. आवासीय पता																			
साझेदार के घर का पता				फ्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं०															
				गली/क्षेत्र/इलाका															
				राज्य															
				जिला															
				शहर				पिन कोड:											

[illegible]

विदेशी नागरिक होने और पैन धारक न होने की स्थिति में आवश्यक नहीं।

“कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की फा0सं. 1/12/2013 सीएल-अ दिनांक 22 मई, 2014 में सामान्य परिपत्र सं0 12/2014 के अनुपालन में विदेशी नागरिकों के मामले में अनिवार्य नहीं है।”

भाग ग 4: यदि फर्म, पंजीकृत सोसाइटी/न्यास है "

(आयात करने वाले एकल/न्यास संस्थाएं/पंजीकृत एनजीओ, जिनको प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.07 के संदर्भ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अलाभकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अन्तर्गत सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है और वे स्थाई आईईसी सं० 01000000126 प्रयोग करते हैं।)

[illegible]

घ. घर का पता	प्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं०													
	गली/क्षेत्र/इलाका													
	राज्य	जिला												
	शहर	पिन कोड												
ड. मोबाइल न०														
च. पैन														
छ. आधार कार्ड सं० यदि उपलब्ध है।														

भाग घ: घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:

क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है को निम्नलिखित किसी भी अधिनियमों ;समय-समय पर यथासंशोधितद्ध के अधीन दण्डित नहीं किया गया है:

- (i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
- (iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और
- (iv) विदेश विनियम प्रबंधक अधिनियम, 1999
- (v) विदेश विनियम संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974

ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/फर्म/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल) में है का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है।

ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यों)/यूनिट (टों)/डिविजन(नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

घ. हमने अपने पंजीकृत/मुख्यालय के लिए किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त नहीं किया है और न ही आवेदन किया है।

ii. मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 उसे तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और आयात निर्यात मद के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के प्रावधानों के पातन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

(iii) मैं/हम पूर्णतः समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।

(iv) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी औ विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है।

(v) मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

घोषणा/वचनबद्धता की स्वीकृति को बॉक्स में अंकित करें और निम्नलिखित ब्यौरा भरें—

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम

दूरभाष/मोबाइल नं०.....

आवेदक का ई मेल

हस्ताक्षरी आवेदक का पैन*.....

टिप्पणी:—आवेदन पत्र सोसाइटी के स्वामी/प्रबन्धक साझेदार/पदनामित साझेदार/निदेशक/सचिव या मुख्य कार्यकारी/प्रबन्धक न्यास/कर्ता जो भी मामला हो, के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए।

भाग ड. सामान्य अनुदेश

1. शुल्क ब्यौरा

संदर्भ सं०	
तारीख	
भुगतान का तारीख	
बैंक	
राशि	
लेन-देन सं०	

* शुल्क के भुगतान हेतु आवेदक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) (आवेदक के बैंक खाते से ईएफटी) का उपयोग कर सकता है अथवा अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकता है।

2. डिजिटल फोटो, पैन कार्ड, और निरस्त चेक अथवा बैंक प्रमाणपत्र अपलोड करें। (एएनएफ-2क(i) के अनुसार)

3. आवेदन का पूर्वावलोकन यह सत्यापित करने के लिए करें कि सभी विवरण संबद्ध कॉलम में भी दिए गए हैं, जैसे:

1. आईईसी मास्टर

2. शाखा

3. निदेशक

4. क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा किसी निर्दिष्ट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया गया शुल्क।

5. डिजिटल फोटो, पैन कार्ड, और निरस्त चेक जिसमें फर्म का पूर्व-मुद्रित नाम अथवा बैंक प्रमाणपत्र संलग्न किया गया हो।

4. आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करें (आवेदन वास्तविक स्वामी/प्रबंध साझेदार/नामित साझेदार/निदेशक/सचिव अथवा सोसाइटी/प्रबंध न्यासी/कर्ता का मुख्य कार्याकारी, जैसा भी मामला हो द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए) और हस्ताक्षरित आवेदन की स्कैन की गई प्रति "डीसीएलडीओसी" श्रेणी के तहत ऑनलाइन संलग्न करें।

5. आवेदन डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन अपलोड करें। एक क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन अन्य क्षेत्रीय प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं किए जा सकते।

6. यदि किसी आवेदन पर आवेदक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया जाता है, तो उसे क्षेत्रीय प्राधिकरण, डीजीएफटी को वास्तविक रूप में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा मैनुअल रूप में हस्ताक्षरित आवेदन की प्रति क्षेत्रीय प्राधिकरण, डीजीएफटी को भेजना होगा। विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी के कार्यालय को डाक द्वारा अथवा कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से जमा किया जा सकता है।

7. फार्म के जमा करने पर प्राप्ति का एक पुष्टिकारक संदेश पंजीकृत ईमेल/मोबाइल नं० पर भेजा जाएगा। दस्तावेजों/ब्यौरे की प्रक्रिया के पश्चात् एक ई-आईईसी सृजित किया जाएगा और ईमेल के जरिए भेजा जाएगा।

8. अस्वीकृत आवेदनों के मामलों में आवेदक डीजीएफटी की वेबसाइट पर "ऑनलाइन आईईसी आवेदन" पर पुनः लॉग-इन कर और 500/-रुपये का प्रक्रियान्वयन शुल्क का भुगतान कर नया फॉर्म भरकर नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. ई-आईईसी धारक ई-आईईसी जारी होने के तुरन्त बाद अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। प्रक्रिया पुस्तक (2015-2020) के एएनएफस-1 में आयातक/निर्यातक का प्रोफाइल शामिल होता है। आईईसी धारक प्रक्रिया पुस्तक (2015-2020) के पैरा 2.15 के अनुसार जब भी कोई परिवर्तन होता है तो तुरन्त अथवा किस मामले में वर्ष में कम से कम एक बार अपने प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु उत्तरदायी है।

भाग च: आवेदन पत्र फाइल करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ :

*आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरा ब्यौरा सही हो और दस्तावेजों के अनुरूप हो।

*डीजीएफटी, क्षेत्रीय प्राधिकरण का चुनाव क्षेत्राधिकार के अनुसार किया गया हो।

*अपेक्षित शुल्क जमा किया गया हो।

*जाँच सूची जैसा कि पूर्वावलोकन में है, का अनुपालन किया गया हो।

*कृपया यह ध्यान दें कि आप (') के स्थान पर (") और () के स्थान पर { } अथवा [] का उपयोग कर सकते हैं।

किसी भी संदेह के लिए <http://dgft.gov.in/exim/2000/iechelpfaqhtm/lecFAQ.htm> पर बहुधा पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ लें।

भाग छः आयात निर्यात कोड ;आईईसी संख्या में संशोधन

(*ई-आईईसी में संशोधन को तदनुरूपी दस्तावेजों के साथ मंडित करने की आवश्यकता है। ई-आईईसी में संशोधन करने से पहले कृपया अन्य आवश्यक/सहायक दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन कर लें तथा इन दस्तावेजों को किए गए परिवर्तनों के आवश्यक प्रमाण के रूप में अपलोड किया जा सकता है।)

*संशोधन के लिए

1. दोनों में से किसी एक को चुनिए: पुराने आईईसी से ई-आईईसी में स्थानांतरण/संशोधन अथवा ई-आईईसी में संशोधन										
2. उपलब्ध कराए गए स्थान में निम्नलिखित विवरण भरें अर्थात पैन संख्या, मोबाइल संख्या और ई-मेल-आईडी और जेनरेट टोकन पर क्लिक करें।										
आईईसी संख्या										
पैन										
**मोबाइल संख्या										
**ई-मेल आईडी										
जेनरेट टोकन										
1. दो विभिन्न 5 डिजिट टोकन संख्या एक ही क्रम संख्या के साथ आपके मोबाइल पर और साथ ही आपके ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।										
2. आईईसी मास्टर स्क्रीन पर लॉग इन करने के लिए निम्नलिखित कॉलम में इन दो टोकन संख्याओं को भरा जा सकता है।										
मोबाइल टोकन										
ई-मेल टोकन										

प्रस्तुत करें

*आवेदक तब मौजूदा विवरणों को देख पाएंगे। वह अपेक्षित विवरणों में संशोधन कर सकते हैं और उसके लिए दस्तावेजी प्रमाण को अपलोड कर सकते हैं।

*डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं0 53, दिनांक 5.01.2016 में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी में परिवर्तन सहित आईईसी में शाखा कार्यालय/मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया दी गई है।

*यह जांचने के लिए कि संबंधित कॉलम में सभी अपेक्षित विवरण, आईईसी मास्टर, शाखा विवरण, निदेशक विवरण आदि भरे गए हैं, आवेदन पत्र की पुनः जाँच कर लें।

*200 रु0 के प्रक्रिया शुल्क का भुगतान आनलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा किसी अन्य नामित बैंक के माध्यम से नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

*प्रपत्र को प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी का चयन करें।

*आवेदन-पत्र को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें। (आवेदन-पत्र स्वामी/प्रबंधक साझीदार/नामित साझीदार/निदेशक/सचिव अथवा सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंधक न्यासी/कर्ता जैसा भी मामला हो, के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए)

एएनएफ-2क (i)
आईईसी जारी करने के लिए बैंक प्रमाण पत्र का प्रपत्र
 बैंक कार्यालय के पत्र शीर्ष पर जारी होने के लिए
 (बैंक का नाम/ब्रांच का पता)

संदर्भ सं०.....

सेवा में,

विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी का कार्यालय

.....

.....

(कृपया संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकारी का पता लिखें)

महोदय/महोदया,

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स (खाताधारक का नाम) * जिनका बैंक के रिकार्ड के अनुसार पता है। उनका से हमारे यहाँ बचत जमा खाता/चालू खाता (लागू को चिन्हित करें) सं० है।

प्राधिकृत खाताधारक का
पासपोर्ट आकार का फोटो
चिपकाएं

टिप्पणी: फोटो को चिपकाया गया है तथा चिपकाया गया अनुप्रमाणित फोटो खाताधारक का है।** [यह उन मामलों में लागू नहीं होता जहाँ खाताधारक एक संस्थान/कंपनी (एलएलपी/निजी/सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम/धारा 25 कंपनी है)]

(जारी करने वाले के हस्ताक्षर)
(प्रबन्धक से नीचे के रैंक का नहीं)

नाम

पदनाम.....

जारी करने वाले बैंक का आईएफएस कोड.....

दिनांक

बैंक का ई-मेल

*बैंक के रिकार्ड के अनुसार खाताधारक का नाम और पता

**आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) हेतु आवेदन फार्म में खाताधारक एक हस्ताक्षरी आवेदक है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय का कार्यालय
आईईसी आवेदन पत्र जांच-सूची

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन सं० :

(आरए का कार्यालय निम्नलिखित जांच-सूची के अनुसार
 आईईसी आवेदन-पत्रों को तैयार करेगा):

क्र०सं०	जांच का प्रकार	जांच का विवरण	हां	नहीं
	आवेदक की कंपनी का विवरण	स्वामित्व फर्म		
	पद्ध आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच	क्या आवेदन-पत्र में दिए गए स्वामी (नाम) के विवरण अपलोड किए गए पैर की प्रति में दिए गए नाम से मिलते हैं?		
	पद्ध अपलोड किए गए पैर के विवरण की जांच	क्या अपलोड की गई पैर की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		

आवेदक की कंपनी का विवरण	स्वामित्व फर्म		
पद्ध आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच	क्या आवेदन-पत्र में दिए गए निम्नलिखित विवरण अपलोड की गई पैन की प्रति में उल्लिखित विवरण से मेल खाते हैं?		
	क) कंपनी का नाम		
	ख) निगमीकरण की तिथि		
	ग) पैन		
पद्ध अपलोड किए गए पैन के विवरण की जांच	क्या अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
पद्ध साझीदार के पैन विवरण की प्रति-जांच	क्या आवेदन पत्र में दिए गए साझीदार के विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
आवेदक की कंपनी का विवरण	एलएलपी/निजी/सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम/धारा 25 के तहत कंपनी		

(क) पद्ध आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच	क्या आवेदन-पत्र में दिए गए निम्नलिखित विवरण अपलोड की गई पैन की प्रति में उल्लिखित विवरण से मेल खाते हैं?		
	क) आवेदक की कंपनी का नाम		
	ख) निगमीकरण की तिथि		
	ग) स्थायी खाता संख्या		
पद्ध अपलोड किए गए पैन के विवरण की जांच	क्या अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
(ख) पद्ध साझीदार/निदेशक के डीआईएन की जांच	क्या आपके आवेदन-पत्र में यथा भरे गए साझीदार/निदेशक के विवरण कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट के डीआईएन से मेल खाते हैं?		
पद्ध साझीदार/निदेशक के पैन विवरण की प्रति-जांच	क्या आवेदन पत्र में दिए गए साझीदार (साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों) के विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
(ग) एलएलपीआईएन/सीआईएन के साथ कंपनी के विवरण की जांच	क्या पंजीकरण संख्या, निगमीकरण की तिथि और कंपनी का नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट की सूचना से मेल खाते हैं?		
आवेदक की कंपनी का विवरण	पंजीकृत सोसाइटी/न्यास		
पद्ध आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच	क्या आवेदन-पत्र में दिए गए निम्नलिखित विवरण अपलोड की गई पैन की प्रति में उल्लिखित विवरण से मेल खाते हैं?		
	आवेदन कंपनी का नाम		

(ii) अपलोड किए गए पैन विवरण का सत्यापन	ख) निगमीकरण की तारीख ग) स्थायी खाता संख्या क्या अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से मेल खाते हैं?
(iii) आवेदक के पैन विवरण का प्रति-परीक्षण	क्या जो आवेदन प्रपत्र में भरा गया आवेदक का नाम और पैन, आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नाम और पैन से मेल खाते हैं?
आवेदक कंपनी का विवरण	एचयूएफफर्म
(i) आवेदक कंपनी के विवरण की जाँच	क्या आवेदन में भरा गया निम्नलिखित विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण से मेल खाते हैं?
(ii) अपलोड किए गए पैन का सत्यापन	जो, अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से मेल खाते हैं?
(iii) आवेदक के नाम का प्रति-परीक्षण	क्या प्रबंधक न्यासी/कर्ता का नाम और पैन, जो आवेदन प्रपत्र में भरा गया है, आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नाम और पैन से मेल खाते हैं?
2. आवेदक कंपनी के बैंक विवरण की जाँच	क्या निम्नलिखित विवरण, जो आवेदक कंपनी द्वारा भरा गया है, धारक कंपनी के पूर्व-मुद्रित नाम से निरस्त किए गए, अपलोड किए गए चेक से मेल खाते हैं: खाता धारक का नाम खाता संख्या बैंक का नाम बैंक शाखा बैंक का आईएफएस कोड
3. अन्य टिप्पणियाँ, यदि कोई है	

*आवेदक / कंपनी / साझेदार का पैन विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर "नो योर पैन" पर क्लिक करके उसमें आवेदक / कंपनी / साझेदार की जन्म की तारीख / निगमीकरण की तारीख और नाम भरकर सत्यापित किया जाना चाहिए (<https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/ Services/ Know Your Pan Link.html>)

**साझेदार / निदेशक विवरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "कंपनी मास्टर डाटा देखें" पर क्लिक करके और "निदेशक के डीआईएन-पैन ब्यौरे सत्यापित करें" पर पहुंचकर उसमें आवेदन में दर्शाया गया डीआईएन डालकर सत्यापित किया जाना चाहिए।

(http://www.mca.gov.in/MCA21/Master_data.html)

***सीआईएन, कंपनी का नाम, पंजीकरण संख्या / निगमीकरण की तारीख कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "कंपनी मास्टर डाटा देखें" पर क्लिक करके उसमें आवेदन में दर्शाया गया एलएलपीआईएन / सीआईएन डालकर सत्यापित किया जाना चाहिए।

(http://www.mca.gov.in/MCA21/Master_data.html)

(i) सभी "हाँ" पर निशान लगाए हुए आवेदन प्रपत्र को ई-आईसी दीए जाने के लिए स्वीकार किया जाएगा और आवेदक को ई-मेल किया जाएगा। आवेदक को प्रणाली-प्रेषित एसएमएस द्वारा उसके खाते पर आईसी को सफलतापूर्वक बनाए जाने की सूचना भी दी जाएगी।

(ii) आवेदक ई-आईसी प्रिन्ट नहीं कर सकता।

(iii) एक अथवा एक से अधिक "नहीं" पर निशान लगाए हुए आवेदन प्रपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आवेदक को अस्वीकृति पत्र (कारणों के साथ) ई-मेल किया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st February, 2016

No. 58/2015-2020

Subject: Amendment in ANF 2A of Appendices and Aayat Niryat Forms (2015-2020).

F.No.01/93/180/20/AM-13/ PC-2(B).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby amends the ANF 2A [Application Form for Issue / Modification in Importer Exporter Code Number (IEC)] and further notifies that:

- i. Effective from the date of this Public Notice, online applications for IEC will require only 2 documents to be uploaded electronically i.e. (i) PAN (ii) Cancelled cheque bearing entity's pre-printed name or Bank certificate, besides the Digital Photograph of the signatory applicant.
- ii. The manual mode of submitting applications for Importer-Exporter Code (IEC) as per the existing format will be withdrawn w.e.f. 1.4.2016.
- iii. Application for new IEC will be accepted in online mode only w.e.f. 01.04.2016
- iv. Thus, only online application for IEC /modification in IEC can be made by applicants through digital signature (Class-II or Class-III) w.e.f. 01.04.2016. Applicants are advised to visit <http://dgft.gov.in/exim/2000/digsig.htm> for details regarding obtaining digital signature.
- v. The revised online format for IEC applications (ANF 2A) and Bank Certificate [ANF-2A (i)], as attached, is notified.
- vi. After receipt of applications complete in all respects, decision regarding grant or refusal of IEC will be taken and communicated by the concerned Regional Authorities (RA) of DGFT within two working days, after processing the application on the basis of the check list, attached herewith.
- vii. The facility of filing online application for IEC will also be available through e-biz portal of DIPPP, after its integration with DGFT's system.
- viii. Persons seeking any benefit from any authority, by claiming status as manufacturer exporter, have to prove its credence for the same independently to that authority.

2. Effect of Public Notice:

Applicants can, with immediate effect, submit online application for IEC by uploading only 2 documents, besides their digital photograph. The manual mode of applications for IEC will cease to exist w.e.f. 1.4.2016 and only online applications for IEC /modification in IEC would be accepted with digital signatures w.e.f. 1.4.2016.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

GUIDELINES ON THE ONLINE APPLICATION FORM FOR ISSUE/MODIFICATION IN IMPORTER EXPORTER CODE (IEC) NUMBER

- Applicants are advised to read the instructions carefully before applying.
Note: The IEC application form can only be viewed in Internet Explorer. 11 or above, Chrome 6.3.2 or above with javascript enabled.
- Effective from 1.4.2016 only online mode of application for IEC /modification in IEC will be available.
- Applications for IEC /modification in IEC can be made online only by applicants with digital signature (class-II or class-III) w.e.f. 1.4.2016.
- Applicants are advised to visit <http://dgft.gov.in/exim/2000/digsig.htm> for details regarding obtaining digital signature from (n) Code Solutions CA; e-Mudhra; and Safescrypt [Sifycomm /Sify Communication Limited (Formerly SafeScrip Limited)]
- Online applications require only 2 documents i.e. (i) PAN; and (ii) Cancelled Cheque bearing entity's pre-printed name or Bank Certificate, to be uploaded.
- Signatory applicants seeking IEC are required to upload their Digital Photograph (3x3cm).
- Online application form(ANF-2A) for new IEC/modification in IEC is attached

- Format of Bank Certificate is as per attached ANF-2A(i)
- Ensure that the documents are legible before uploading.
- The documents should be uploaded in digital format–GIF, JPEG size not exceeding 5MB.
- Ensure that details filled in the application match with details as in the uploaded documents, i.e (i) PAN; and (ii) Cancelled Cheque or Bank Certificate.
- Information furnished in the application form will be cross-checked with the uploaded documents and verified with details available at <http://incometaxindiaefiling.gov.in> and <http://www.mca.gov.in> as per the check list attached (Annexure-I).
- Applicants must ensure that their details as uploaded, and as available in the aforesaid websites, matches with the details as filled in the application form. Any mismatch in corresponding details will lead to rejection of application.
- Applicants must also read through the General instructions as at the end of the application, before submission of the application, to ensure that the form has been filled correctly.
- Applicants can also cross-check their application details as per the check sheet attached to ensure correct submission of information.
- Online IEC applications once rejected will not be processed any further. Applicant's desirous of seeking IEC will have to apply afresh, by paying the processing fees of Rs 500/-
- Instruction for modification in IEC is detailed in Part G of ANF-2A.

ANF-2A**Login for IEC Online**

*Digital
Photograph
of the
Applicant
(3x3cm)*

Mode of Operation (Choose one of these options)	1. Create new application or open already created application 2. Create new e-IEC application where e-IEC was rejected. 3. Migrate/Modify old IEC to e-IEC, OR 4. Modify e-IEC.									
Enter the following details in the fields provided i.e. Pan Number, Mobile Number and Email-ID and click on Generate Token.										
PAN										
**Mobile Number										
**e-mail id										
Generate Token										
Two different 5 digits token number with the same serial number will be sent to your Mobile number as well as to your Email Id. These two token numbers may be filled in the following columns to login to the IEC Master screen.										
Mobile Token										
Email Token										

Submit

**** Remember the PAN, Mobile number and the E-mail id.**

It will be required every time an applicant opens already created application; or the applicant desires to create new e-IEC application where e-IEC was rejected; or while modifying e-IEC.

Note: At every stage you can preview the application for correctness. An application can be modified any number of times till it is submitted for processing.

Part A

Applicant Details																		
i. Name of entity in whose name IEC is required																		
ii. Address: (Registered Office Address is required in case of Companies/ Head Office Address is required for all other categories)		Flat/Plot/Block No.:																
		Street/Area/Locality:																
		State:								▼		District:					▼	
		City:				PIN Code:												
iii Landline telephone no., if any (with area code)																		
iv Mobile No.		Primary Mobile No.																
		Other Mobile No, if any																
v Email ID / Website Address:		Primary Email ID (for correspondence with DGFT):								Alternate Email ID, if any:								
		Website (if any):								FAX No.(if any, with area code)								
vi Nature of concern / entity (Please select relevant category):		01-Proprietorship								06-Govt. undertaking								
		02-Partnership								07-Section 25 Company								
		03-Limited Liability Partnership								08-Registered Society								
		04-Private limited								09-Trust								
		05-Public Limited								10-HUF								
vii: Preferred Activities : (Please select the relevant category)		01-Merchant Exporter								05-Merchant cum service provider								
		02-Manufacturer Exporter								06-Manufacturer cum service provider								
		03-Merchant cum manufacturer exporter								07-Merchant cum Manufacturer cum service provider								
		04-Service Provider								08- Others (please specify)								
viii Bank Account Details of the Applicant's entity:																		
1. Name of the account holder																		
2. Account Number:																		
3. Name of the Bank:																		
4. Branch address of the Bank:																		
5. IFS Code :																		
Part B : Branch Details																		
i Branch ID:																		
iiAddress of Branches, Divisions, Units, Factories located in India and abroad		Flat/Plot/Block No.:																
		Address line																
		Address Line																
		Street/Area/Locality:																
		City:				State:		▼										
		District:		▼		PIN Code:												
(Similarly fill in details of each branch)																		
Part C : Please fill in the following details:																		
Part C 1 In case the entity is a Proprietor firm :																		
1.PAN details of the entity		Name of the Proprietor as in PAN																
		Father's Name																
		Date of Birth (DD/MM/YYYY)																
b) Residential Address		Flat/Plot/Block No.:																
		Street/Area/Locality:																
		City:		District:		▼												

	State	▽	PIN Code:							
c) Aadhaar Card Number, if available:										
Part C 2: In case the entity is Partnership firm										
1.PAN details of the entity	Name as in PAN									
	Date of Incorporation (DD/MM/YYYY)									
	PAN									
2. Fill in the following details for each partner:										
a. Name as in PAN										
b Father's name										
c. Date of Birth (DD/MM/YYYY)										
d. Residential Address of the Partner:	Flat/Plot/Block No.:									
	Street/Area/ Locality:									
	City:				District:					▽
	State:				▽	PIN Code:				
e. Mobile No.										
f. PAN:										
g. Aadhaar Card Number, if available										
Part C 3: In case the entity is a Limited Liability Partnership/ Private/ Public/Govt. Undertaking / Section 25 Company:										
1.PAN details of the firm:	Name as in PAN									
	Date of Incorporation									
	PAN									
2. LLPIN /CIN (whichever is applicable)										
3. Registration Certification No.										
4. Fill in the following details for each Partner/Director:										
a. Name / Name as in PAN*										
b. Father's Name*										
c. Date of Birth (DD/MM/YYYY)*										
d. Director Identity Number										
e. Residential Address	Flat/Plot/Block No.:									
	Street/Area/ Locality:									
	City:				District:					▽
	State:				PIN Code:					
	Country*									
f ** PAN										
g. Mobile Number										
h. Aadhaar Card Number, if available										
* <u>Not required if Foreign National and not holding a PAN.</u>										
**(Not mandatory in case of Foreign nationals complying with Ministry of Corporate Affairs General circular no. 12/2014 in F.No. F.No.1/12/2013 CL-V dated 22nd May,2014)										
Part C 4: In case the entity is a Registered Society/Trust**										
**(Individuals /Charitable institutions/ Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under Notification issued by the Ministry of Finance for bonafide use by victims affected by natural calamity may										

refer to the para 2.07 of Handbook of Procedure and use Permanent IEC No 0100000126)																											
1. PAN details of the Society/Trust:	Name as in PAN																										
	Date of Incorporation																										
	PAN																										
2. Registration Number:																											
3. Details of the Secretary/ Chief Executive of the Society; or Managing Trustee of the Trust																											
a. Name as in PAN																											
b. Father's Name																											
c. Date of Birth (DD/MM/YYYY)																											
d. Residential Address	Flat/Plot/Block No.:																										
	Street/Area/ Locality:																										
	State:										District																
	City										PIN																
e. Mobile Number																											
f. PAN																											
g. Aadhar Card No. if available																											
Part C 5: In case the entity is a HUF																											
1. PAN details of the Entity:	Name as in PAN																										
	Date of Incorporation																										
	PAN																										
2.Details of the Karta																											
a. Name as in PAN																											
b. Father's Name																											
c. Date of Birth (DD/MM/YYYY)																											
d. Residential Address	Flat/Plot/Block No.:																										
	Street/Area/ Locality:																										
	State:										District																
	City										PIN																
e. Mobile Number																											
f. PAN																											
g. Aadhar Card Details, if available																											

Part D: DECLARATION/UNDERTAKING

i	I/We hereby certify that : A. the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time): (i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, and (iv) The Foreign Exchange Management Act, 1999; (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 B. none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT; C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy; D. we have not obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our Registered / Head Office to any other Licensing Authority
ii	I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures and the ITC (HS) Classification of Export & Import Items.
iii.	I/We fully understand that if any information furnished in the application is found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
iv.	I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of

	my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld therefrom.
v	I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade Policy.
	Tick the box as acceptance of declaration/ undertaking and fill in the details below.

Place:**Date:****Name of the applicant*:****Designation:****Official Address:****Telephone/Mobile No:****Email of the applicant:****PAN of the signatory applicant*:**

Note* Application has to be digitally signed by Proprietor/ Managing Partner/ Designated Partner /Director/ Secretary or Chief Executive of the Society/ Managing Trustee / Karta as the case may be.

Part E: GENERAL INSTRUCTIONS**1. Fee Detail**

Reference No	
Date	
Mode	
Bank	
Amount	
Transaction No	

*For payment of fee the applicant can use the Electronic Fund Transfer (EFT from the bank account of the applicant) or pay through his credit /debit card.

2. Upload Digital Photograph; PAN card; and cancelled cheque or Bank certificate [as per ANF-2A(i)]
3. Preview Application to verify that all details have been filled in relevant columns like:
 1. IEC Master
 2. Branch
 3. Director
 4. Fees paid through credit /debit card or any designated bank online
 5. Digital Photograph; PAN card; cancelled cheque bearing entity's pre-printed name or Bank certificate have been attached
4. Sign the application digitally (Application has to be signed by Proprietor/ Managing Partner/ Designated Partner/ Director/ Secretary or Chief Executive of the Society/ Managing Trustee / Karta as the case may be) and attach a scanned copy of the signed application online under the category "DCLDOC" .
5. Upload the application to concerned Regional Authority of DGFT online. Applications submitted to one Regional Authority cannot be transferred to another Regional Authority.
6. If an application is signed digitally by the applicant, it need not be sent in physical form to RA, DGFT. Otherwise manually signed copy of the application needs to be sent to RA, DGFT. Print out of the application form duly signed may be submitted through post or handed over physically in the office of the concerned Jurisdictional RA's office.
7. On submission of the form, a confirmatory message/sms of receipt would be sent on the registered email/ mobile number. After processing of documents/details an e-IEC will be generated and sent through e-mail.

8. In cases of rejected applications, applicants can submit fresh application by re-login onto the “Online IEC application” on DGFT website and filling the form afresh by paying processing fee of Rs 500/-.
9. An e-IEC holder shall update his profile immediately after issuance of e-IEC. ANF-1 of the Handbook of Procedure (2015-20) contains the profile of the importer/exporter. IEC Holder shall be responsible for updating the same as and when a change takes place immediately or in any case at least once in a year as per para 2.15 of Handbook of Procedure (2015-20).

Part F: Precautions to be taken while filing the application form:

- Applicant must ensure that all details are correct and match with documents
- DGFT, RA is selected as per its jurisdiction
- Requisite fee is deposited
- Checklist as in preview is complied with
- Please note you can use (`) instead of (') and { } or [] instead of ()

For any doubts refer to FAQ's at <http://dgft.gov.in/exim/2000/iechelpfaqhtm/IecFAQ.htm>

Part G: MODIFICATION IN IMPORT EXPORT CODE (IEC) NUMBER*

(* Modifications in e-IEC needs to be corroborated with corresponding documents. Before seeking modification in e-IEC, kindly carry out necessary modifications in other requisite/supporting documents, and these documents are required to be uploaded as requisite proof of changes made.)

- **For modification:**

1. Choose either of the two: Migrate/Modify old IEC to e-IEC, OR Modify e-IEC									
2. Enter the following details in the fields provided i.e. Pan Number, Mobile Number and Email-ID and click on Generate Token .									
IEC Number									
PAN									
**Mobile Number									
**e-mail id									
Generate Token									
1. Two different 5 digits token number with the same serial number will be sent to your Mobile number as well as to your Email Id. 2. These two token numbers may be filled in the following columns to login to the IEC Master screen.									
Mobile Token									
Email Token									
Submit									

- Applicant will then be able to view the existing details. He/she may modify the desired details and upload documentary evidence for the same.
- Procedure for modification/change in Branch Office/Head Office/Registered Office Address in IEC involving a change in jurisdictional RA has been laid down, vide DGFT's Public notice no.53 dated 5.1.2016.

- Preview Application to verify that all requisite details have been filled in relevant columns: IEC Master; Branch details; Director Details etc.
- Processing Fees of Rs 200/- be paid through credit /debit card or any designated bank online through net banking.
- Select the Jurisdictional RA to submit the form.
- Sign the application digitally (Application has to be signed by Proprietor/ Managing Partner/ Designated Partner /Director/ Secretary or Chief Executive of the Society/ Managing Trustee / Karta as the case may be).
- Upload the application to DGFT, RA (Regional Authority of DGFT) online.
- If an application is signed digitally by the applicant, it need not be sent in physical form to RA, DGFT. Otherwise manually signed copy of the application needs to be sent to RA, DGFT. Print out of the application form duly signed may be submitted through post or handed over physically in the office of the concerned Jurisdictional RA's office

ANF-2A(i)
FORMAT OF BANK CERTIFICATE FOR ISSUANCE OF IEC

(To be issued on the official letter head of the Bank)
(Name of the bank/branch address detail)

Ref No.
To

Office of the Regional Authority of DGFT

.....
.....
.....

(please fill in the address of the concerned jurisdiction Regional Authority)

Sir/ Madam

It is certified that M/s. (Name of the account holder)*.....
..... whose address as per the bank records is
.....
.....is/ are maintaining a Savings Bank Account / Current Account (tick whichever is applicable) No.
..... with us, since

Affix
Passport
Size
Photograph of
the authorised
account
holder*

Note: The photograph as affixed and attested is of the account holder**. [This does not apply in cases where the account holder is an institute/ company (LLP/ Private/ Public/Govt. Undertaking / Section 25 Company)]

(Signature of the issuing authority)
(Not below the rank of Manager)

Name.....

Designation

IFS Code of the issuing bank:

Email id of the bank:

Date:
Place:

(Banks'
Stamp)

	(ii) Verify the uploaded PAN details	Whether the <i>details, as in the uploaded copy of PAN, match with the information available on the website of Income Tax Deptt ?*</i>		
	(iii) Cross-check PAN details of the applicant	Whether <i>applicant's name and PAN, as filled in the application form,</i> matches the name and PAN available on the website of Income Tax Deptt?*		
	Applicant entity's details ☐	HUF Firm		
	(i) Check applicant entity's detail	Whether the following <i>details filled in the application,</i> match with details available on the website of Income Tax Deptt ?*		
		a) <u>Applicant/ Entity's name</u>		
		b) <u>Date of Birth/Incorporation</u>		
		c) <u>Permanent Account Number</u>		
	ii) Verify the uploaded PAN details	Whether the <i>details, as in the uploaded copy of PAN, match with the information available on the website of Income Tax Deptt ?*:</i>		
	iii) Cross-check name of the applicant	Whether <i>Managing Trustee's/ Karta's name and PAN, as filled in the application form,</i> matches name and PAN available on the website of Income Tax Deptt?*		
2.	Check Bank details of the applicant entity	Whether the following <i>details, as filled by the applicant entity,</i> match with the uploaded cancelled cheque bearing entity's pre-printed name?		
		<u>Name of the Account Holder</u>		
		<u>Account number</u>		
		<u>Bank's name</u>		
		<u>Bank Branch</u>		
		<u>IFS code of the Bank</u>		
3.	Other Remarks, if any			

* PAN details of the applicant/entity /partner should be verified from the website of Income Tax Department by clicking on "Know your PAN" by filling in Date of Birth/Date of Incorporation and name of the applicant/entity /partner (<https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLink.html>)

**Partner/Director details, should be verified from Ministry of Corporate Affairs website by clicking on "View Company Master Data" and accessing the "Verify DIN-Pan Details of the Director" by entering DIN as indicated in the application. (http://www.mca.gov.in/MCA21/Master_data.html)

*** CIN; Company Name; Registration Number/Date of Incorporation should be verified from Ministry of Corporate Affairs Website by clicking on "View Company Master Data" and entering LLPIN/CIN as indicated in the application (http://www.mca.gov.in/MCA21/Master_data.html)

- Application forms with all "Yes" ticked would lead to an e-IEC being generated and emailed to the applicant. Applicant would also be informed of successful generation of IEC on his account through system-generated sms.
- Applicant cant print his e-IEC.
- Application forms with one or more "No" ticked would lead to rejection of the application and a rejection letter (with reasons) would be emailed to the applicant.